

2201/65
30/11/12

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

पत्र प्राप्ति

29 NOV 2012

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राँची

संकल्प

1. *Contriver N* *before web mail*
विषय : झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिकारी सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन।
2. *Kindly put up before new beta*
झारखण्ड सर्व्य में सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और उनके आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के क्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आये दिन कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छायें की जाती हैं और परामर्श माँगा जाता है।
3. *✓ 29/11/12*
यद्यपि इन मामलों पर समय-समय पर सरकार द्वारा परिपत्र/संकल्प/अनुदेश निर्गत होते रहे हैं, जैसे अधियाचना, विज्ञापन, पूर्ववृत्त का सत्यापन, स्वारक्षण, शोगदान नहीं देने के कारण रिक्तियों को अग्रणीत किया जाना आदि बिन्दुओं पर अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में भी समय-समय पर संकल्प निर्गत किए गए हैं। चूनतम अहतांक के सम्बन्ध में भी परिपत्र निर्गत है।
3. तथापि उपर्युक्त निर्गत अनुदेशों के सम्बन्ध अनुपालन की आवश्यकता की दृष्टि से पूर्व निर्गत सम्बन्धित सभी अनुदेशों/परिपत्रों/संकल्पों में दिये गये अनुदेशों/मार्गदर्शनों को समेकित रूप से एक ही संकल्प में समाहित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि इन बिन्दुओं पर पृच्छाओं एवं मार्गदर्शन मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाय और भर्ती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलङ्घन हो। अतः उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया है :—

- (i) सभी विभाग/विभागाध्यक्ष संघर्ष समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे।
- (ii) उक्त रूप में "परिगणित रिक्तियों का रोस्टर" कलीयर्जस फॉर कर, आरक्षण कॉटिवार अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सीधे तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

2778/15.00
29/11/12

के माध्यम से 28/29 फरवरी तक भेज देंगे। अधियाचित रिक्विटयों के विरुद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।

- (iii) सम्बन्धित आयोग द्वारा रिक्विटयों का विज्ञापन यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। आवेदन पंत्र प्राप्ति की समय—सीमा विज्ञापन की तिथि से सामान्यतः एक माह तक अथवा आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रखी जा सकेगी।
- (iv) उप्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ—डेट अधियाचना वर्ष की 01 अगस्त रहेगी।
- (v) सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता का निर्धारण संबंधित सेवा/संवर्ग में अंकित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।
- (vi) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण संकल्प संख्या—15838 दिनांक 22.12.1990 एवं 10258 दिनांक 05.08.1991 द्वारा निम्नांकित रूप में किया गया है :—

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेकचर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

विभाग अपनी परीक्षा नियमावली में सम्यक् विचारोपरान्त इससे गिन्न किंतु अन्यून अर्हतांक भी तय कर सकता है।

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। अन्तर्विक्षा (साक्षात्कार) के लिए, जहाँ लागू हो, उक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (vii) किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए मात्र 4 अवसर मिलेंगे।
- (viii) विज्ञापन के प्रकाशनोपरांत, मात्र एक पत्र (वस्तुनिष्ठ) की परीक्षा के आयोजन पर परीक्षाफल अधिकतम छह माह में, केवल मुख्य परीक्षा होने पर परीक्षाफल अधिकतम नौ माह में, तथा एक / दो विषयों की प्रारम्भिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा एवं तत्पश्चात् साक्षात्कार होने की विधि में परीक्षाफल अधिकतम एक वर्ष के अन्दर प्रकाशित कर दिया जायेगा।

- (ix) ऐसी सेवाओं/संवर्गों के सम्बन्ध में, जिनमें लिखित परीक्षा के बाद अन्तर्वीक्षा/दक्षता जाँच निर्धारित है, लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई गुना से सामान्यतः न्यून नहीं होनी चाहिए। सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में तदनुकूल प्रावधान प्रशासी विभाग द्वारा कर लिया जायेगा।
- (x) सम्बन्धित आयोग द्वारा आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार कर अपनी अनुशंसा के साथ सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा। सामान्य वर्गों के मानदंड से मेधा के आधार पर मेधा सूची में आए उम्मीदवार की गणना आरक्षित कोटि में नहीं की जायेगी। मेधा सूची में उम्मीदवार के नाम के आगे उनका प्राप्तांक भी अभिलिखित रहेगा।
- (xi) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर अन्य परीक्षाओं के लिये सम्बन्धित विभाग प्राप्त मेधा-सूची के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन (पुलिस भैरोफिकेशन), स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल जाँच) तथा प्रमाण-पत्र सत्यापन की कार्रवाई एक माह के अन्दर करेगा।
- (xii) जिन सेवाओं/संवर्गों में अन्तर्वीक्षा की व्यवस्था है, उनके सम्बन्ध में स्वास्थ्य परीक्षण (मात्र संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर) एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की कार्रवाई सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन आयोग एवं प्रशासी विभाग करेंगे।
- (xiii) सम्बन्धित आयोग द्वारा एक बार अनुशंसा भेज देने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। परन्तु, कठिपय विशिष्ट कारणों, यथा—विभाग द्वारा अनुशंसा वापस किये जाने/न्यायालयों के संगत आदेशों के आलोक में आयोग की अनुशंसा में यथोचित संशोधन किया जा सकेगा।
- (xiv) उपर्युक्त कार्रवाई के बाद भर्ती हेतु अपेक्षित कार्रवाई सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी। योगदान करने के लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा।
- (xv) किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय—सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी।

- (xvi) संबंधित आयोग द्वारा स्नातक स्तर के पदों के लिए यथासम्भव एक सिलेबस तैयार किया जायेगा, जिसमें अधिक-से-अधिक एक अतिरिक्त विषय पद के कर्तव्यों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यही व्यवस्था इण्टरसीडिग्ट एवं प्रवेशिका स्तर के लिए भी निर्धारित की जायेगी।
- (xvii) संबंधित आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ की जायेगी एवं मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ—सह—विषयनिष्ठ की जायेगी।
- (xviii) उपर्युक्त रूप में भर्ती की कार्रवाई आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर पूरा कर लेना आवश्यक होगा।

आदेश: आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

N-10
26/11/2012
(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7ए/नीति नि०-07-13/2011 का.—13026./राँची, दिनांक 27.11.11
प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, लोराण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्र०स० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जाय।

N-10
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7ए/नीति नि०-07-13/2011 का.—13026./राँची, दिनांक 27.11.12
प्रतिलिपि—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

N-10
सरकार के प्रधान सचिव।
C1